राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट/2016/ 401 दिनांक : 21-3-16

कार्यवाही विवरण

राज्य बेटी बचाओं अभियान प्रकोष्ठ की तृतीय बैठक का आयोजन दिनांक 25.02.2016 को अपरान्ह 3 बजे प्रकोष्ठ के संरक्षक एवं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ के आदेशानुसार स्वास्थ्य भवन, जयपुर के आरएचएसडीपी हॉल में आयोजित की गई।

बैठक में श्रीमान सदस्य सचिव, "बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ" डॉ. प्रीतम बी यशवन्त अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम एवं निदेशक, आईसी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, "बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ एवं बेटी बचाओं अभियान" की ब्राण्ड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी, श्रीमान ओमप्रकाश कसेरा, प्रबन्ध निदेशक(आरएमएससी) सहित बेटी बचाओ प्रकोष्ठ के सदस्यगण, जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, इण्डियन रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग एसोशियसन, आईसीडीएस एवं एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का विवरण परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।:-

सदस्य सचिव, बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक एजेण्डा प्रस्तुत किया एवं इस पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला गया।

इसके पश्चात बेटी बचाओ अभियान के तहत किये जा रहे नवाचार बाबत् भरतपुर, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, झालावाड़, श्रीगंगानगर, उदयपुर जिले का प्रस्तुतिकरण संबंधित जिले के पीसीपीएनडीटी समन्वयक द्वारा दिया गया।

श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त, सदस्य सचिव, बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम द्वारा बेटी बचाओ से संबंधित सुझाव मांगे गये, प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्नांकित निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये:-

1. श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम ने प्रस्ताव रखा कि जिला गंगानगर में विवाह के दौरान लिया जाने वाला आंठवा फेरा एक अच्छा नवाचार है। ऐसा नवाचार का प्रचार प्रसार सभी जिलों में किया जाना चाहिए।

2. बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ की ब्रांड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी ने प्रस्ताव रखा कि शुभलक्ष्मी योजना की प्रथम किस्त भुगतान के बाद द्वितीय किस्त भुगतान कितने लोगों को किया जा रहा है इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए।
3. श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम ने प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चों की प्रभावी ट्रेकिंग की जा रही है लेकिन टीकाकरण के बाद में ट्रेकिंग नहीं हो पा रही है। बालिकाओं की इसके बाद भी प्रभावी ट्रेकिंग की जानी चाहिए।
4. श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों की प्रभावी ट्रेकिंग किये जाने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्र में भी बालिकाओं की प्रभावी ट्रेकिंग के प्रयास किये जा रहे हैं।
5. श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम ने निर्देश दिये कि चिकित्सा विभाग के पीसीटीएस सॉफ्टवेयर के डाटा व आईसीडीएस विभाग के सॉफ्टवेयर के डाटा आपस में लिंक किया जाये जिससे बालिकाओं की प्रभावी ट्रेकिंग की जा सके।
6. बेटी बचाओ प्रकोष्ठ की ब्रांड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी ने प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर व ग्राम पंचायत स्तर पर की ब्रांड एम्बेसेडर की एक कार्यशाला आयोजित की जाये जिसमें उनको पीसीपीएनडीटी अधिनियम व अभियान की जानकारी प्रदान की जा सके।
7. श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम ने निर्देश दिये कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च को प्रतिवर्ष जिला स्तरीय सम्मेलन करवाया जाये जिनमें ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक की सभी ब्रांड एम्बेसेडर , सामाजिक क्षेत्र की महिलाओं को व अन्य को आंमत्रित किया जाये। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट बालिकाओं व महिलाओं को सम्मानित किया जाये।
8. प्रकोष्ठ को अवगत कराया गया कि वर्ष 2015 में कुल 1372 निरीक्षण किये गये। केन्द्रों के निरीक्षण लगातार किये जा रहे है। प्रकोष्ठ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित समुचित प्राधिकारी निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रतिमाह निरीक्षण किये जाये।
9. प्रकोष्ठ को यह भी अवगत कराया गया कि सभी सोनोग्राफी केन्द्रों का निर्धारित समय पर नवीनीकरण किया जा रहा है। श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम ने निर्देश दिये कि सभी केन्द्रों का समय समय पर सर्वे कराया जाना चाहिए।
10. प्रकोष्ठ को अवगत कराया कि गर्भवती महिलाओं की प्रभावी ट्रेकिंग की गई है जिसमें बाल लिंगानुपात प्रतिहजार 926 बालिका आया है। एर्बोशन वाले उच्चतम पांच चिन्हित जिलों में विभाग के डेवलपमेन्ट पार्टनर से एक सर्वे करवाया जायेगा।
11. प्रकोष्ठ को यह भी ने अवगत कराया कि OJAS में अगस्त 15 से जनवरी 16 तक के डाटा से बाल लिंगानुपात प्रतिहजार 984 बालिका प्राप्त हुआ है इसी प्रकार PCTS में अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 के मध्य प्रतिहजार 929 बालिका प्राप्त हुआ है। माननीय प्रकोष्ठ ने किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

12. श्री रघुवीर सिंह परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी ने बताया कि सभी मशीनों पर एक्टिव ट्रेकर लगा दिये गये हैं तथा 15 जुलाई 2015 के पश्चात् अनिवार्य रूप से जीपीएस सिस्टम लगाये जा रहे है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन CWP 349/2006 VHAP V/s UOI & others के सन्दर्भ में परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी श्री रघुवीर सिंह ने माननीय प्रकोष्ठ को अवगत कराया कि प्रकरण में जारी निर्देशनों की अनुपालना की जा रही है। स्पेशल लीव पीटिशन 5800/2013 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम प्रमोद बेदी में प्रभावी पैरवी की जा रही है। प्रकरण में आगामी तिथि 15.03.2016 नियत है।

14. परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी ने माननीय प्रकोष्ठ को यह भी अवगत कराया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में विचाराधीन सिविल रिट पीटीशन (जनहित याचिका) 3270/2012 डॉ.एस. के. गुप्ता बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य तथा रिव्यू पीटीशन 99/2014 राजस्थान राज्य बनाम विजय कुमार गुप्ता व अन्य के प्रकरणों पर प्रभावी व शीघ्र सुनवाई के लिये अतिरिक्त महाधिवक्ता से निवेदन किया जा रहा है।

15. श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम ने निर्देश दिये कि बेटी बचाओ पर विशेष प्रकार की आईसी डिजाईन की जिसमें उन लड़कियों/महिलाओं को दिखाया जावे जो उनके माता पिता का नाम आगे चला रही है।

16. ब्राण्ड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी के सुझाव पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों में प्रतिदिन बेटी बचाओं अभियान की सफल कहानियों का प्रकाशन करवाये जाने की व्यवस्था की जायें। इस व्यवस्था हेतु मीडिया के प्रबंधकों/मालिकों से भी सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायें।

17. राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय, गांव के चौराहा/चौपाल में गांव की जनसंख्या, पुरूष व महिला अनुपात, बाललिंगानुपात (0–6 वर्ष) तथा जन्म पर बाललिंगानुपात का किसी बोर्ड/दीवार पर उल्लेख किया जाये ताकि प्रत्येक ग्रामवासी को अपने गांव की महिला/पुरूष के लिंगानुपात की जानकारी प्राप्त हो सके एवं घटते हुए बाल लिंगानुपात की गंभीरता के प्रति जागरूक हो सके।

18. राज्य की प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों/स्टेशनरी की दुकानों/टिफिन बॉक्स की दुकानों आदि से यह अनुरोध किया जाये कि वह अपने मिठाई बॉक्स/टिफिन बॉक्स एवं स्टेशनरी पर से संबंधित रेपर लगायें जिससे कि समाज में से संबंधित जागरूकता फैलाई जा सके।

19. वर्ष 2016–17 में भी पूर्व की भांति युवा विकास केन्द्र, राष्ट्रीय केडेट कोर्पस, राष्ट्रीय सेवा संगठन व स्काउट तथा गाइड के माध्यम से राज्य के 1600 निजी व राजकीय महाविद्यालयों में बेटी बचाओं अभियान से संबंधित कार्यक्रम अधिक से अधिक आयोजित करवाये जाये।

20. इण्डियन मेडिकल एसोसियशन, इण्डियन रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग एसोशियसन, फोग्सी के निजी डॉक्टरों से Prescription Slip में तथा सरकारी अर्द्धसरकारी कार्यालयों में "भ्रूण

लिंग परीक्षण करवाना जघन्य अपराध है तथा इसकी शिकायत 104 टोल फ्री सेवा पर की जा सकती है'' स्लिप छपवाना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु पुनः अनुरोध किया जाये।

21. राज्य सरकार ने भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर्स को रंगे हाथों पकड़वाने के उददेश्य से जारी मुखबिर योजना के तहत ईनाम राशि को दिनांक 30.04.2015 के तहत एक लाख रुपये से बढाकर दो लाख रुपये किया गया है इस योजना के तहत दिये जाने वाली इनाम राशि का अत्यधिक प्रचार–प्रसार किया जाये।
22. राज्य में समस्त सोनोग्राफी मशीन/साइलेंट ऑब्जर्वर की क्रियाशीलता की नियमित मॉनिटरिंग की जाये।
23. समुचित प्राधिकारियों द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत निर्धारित निरीक्षण आयोजित किये जाये तथा समय पर जिला व उप जिला सलाहकार एवं समुचित प्राधिकारी की नियमित बैठक आयोजित की जाये तथा बैठक की अवधि का उल्लेख बैठक के कार्यवाही विवरण में आवश्यक रूप से किया जाये।

उक्त बैठक लगभग 3 घंटे में संपादित हुई।

आगामी बैठक का आयोजन माह .... में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में श्रीमान डॉ. प्रीतम बी यशवन्त अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम व बेटी बचाओ प्रकोष्ठ की ब्रांड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(नवीन जैन I.A.S.)
विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

A

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. **निजी** सहायक, राजकुमारी दीया कुमारी (**ब्राण्ड एम्बेसेडर ''बेटी बचाओं अभियान''**), माननीया विधायक, सवाईमाधोपुर।
3. **निजी** सचिव, **प्रमुख** शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य **विभाग**, राजस्थान, जयपुर।
4. **निजी** सचिव, **विशिष्ट** शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (**एनएचएम**), चिकित्सा स्वास्थ्य **एवं** प.क. **विभाग**, राजस्थान, **जयपुर**।
5. निजी सहायक अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6. निजी सहायक, प्रबन्धक निदेशक, आरएमएससी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव (चिकित्सा शिक्षा), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
9. वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
10. वरिष्ठ चिकित्सक, रेडियोलोजी विभाग, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।

11. निदेशक, जन–स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, राज्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), राजस्थान जयपुर।
14. अति. निदेशक (आईसीडीएस) एवं अति. निदेशक, (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
15. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक (एनआरएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

16. अध्यक्ष, इण्डियन रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग एसोसिएशन, राजस्थान, चेप्टर, सवाई मानसिंह अस्पताल, राजस्थान जयपुर।
17. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, राजस्थान चेप्टर, आर.के. हॉस्पिटल, 5–ए मधुवन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने,उदयपुर–313001 (E-mail-rk_hospital@hotmail.com)
18. डॉ0 सुमन मित्तल, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एण्ड गायनोलॉजिकल सोसाईटी ऑफ इन्डिया, जयपुर ब्रांच, 4/21, जवाहर नगर, (E-mail-drsumanmittal@gmail.com)।

B

1. निजी सचिव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर उच्च न्यायालय मार्फत जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर व जयपुर प्रथम।
2. सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय केम्पस, जयपुर मार्फत जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मार्फत जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक।
4. सचिव, राज्य महिला आयोग, लालकोठी, जयपुर राजस्थान।
5. सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
6. अध्यक्ष, राज्य/जिला व्यापार मण्डल मार्फत जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

C

1. समस्त जिला नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज0।
2. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।

3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
4. सहायक निदेशक अभियोजन(पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रभारी पुलिस थाना पीबीआई/अपराध शाखा, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/राज्य समन्वयक(पीसीपीएनडीटी)/विधिक सलाहकार(पीसीपीएनडीटी) /स्वास्थ्य प्रबंधक, पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
6. सेन्ट्रल सर्वर रूम।
7. रक्षित पत्रावली

(रघुवीर सिंह)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं
उप निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सैल
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ठ "अ"

"बेटी बचाओं अभियान प्रकोष्ठ" की तृतीय बैठक दिनांक 25.02.2016 को उपस्थित सदस्यगण एवं आमंत्रित पदाधिकारीगणः–

1. श्रीमती राजकुमारी दीया कुमारी (ब्राण्ड एम्बेसेडर **"बेटी बचाओं अभियान"**), माननीया विधायक, सवाई माधोपुर ।
2. डॉ. प्रीतम बी यशवन्त, अति0 मिशन निदेशक महोदय, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
3. श्री ओमप्रकाश कसेरा, प्रबंध निदेशक (आरएमएससी), राजस्थान जयपुर।
4. डॉ0 लता राजोरिया, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
5. डॉ0 जी.डी. प्रतिनिधि डॉ. मेहन्दी रत्ता , वरिष्ठ चिकित्सक रेडियोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
6. डॉ0 गुणमाला जैन, प्रभारी एमएनजेवाई प्रतिनिधी निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
7. डॉ0 एस.एम. मित्तल, अति0 निदेशक (आईसीडीएस), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
8. डॉ0 एम.पी.गोयल, सचिव प्रतिनिधि अध्यक्ष, इंडियन रेडियोलॉजी एवं इमेजिग एसोसिएशन, राजस्थान चेप्टर।
9. जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर, चुरू, राजसमन्द एवं सिरोही।
10. रजनीश प्रसाद, एसपीओ यूएनएफ़पीए।
11. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक अलवर, बाडमेर, चूरू, डुंगरपुर एवं सिरोही को छोडकर।